भारत स्काउट एण्ड गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ – 226006

रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-9407/1959-1960

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

फोन : 0522-4323838, मो० नं० : 9839392275

पत्रांकः– स०गा० एस०-5A/ 185 / 2026–27 दिनांक 29.04.2026

सेवा में,

माननीय कुलपति
समस्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश

विषयः– भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स उ0प्र0 के समानान्तर हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स एसोसिएशन उ0प्र0 के किया कलापों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप भली–भांति अवगत है कि भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स उ0प्र0 संस्था युवाओं में साहस, स्वावलम्बन, अनुशासन एवं सेवाभाव जागृत कर समाज तथा राष्ट्र के लिए आदर्श और चरित्रवान नागरिक तैयार करती है। उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 1975–76 से स्काउटिंग / गाइडिंग के महत्व को रेखाकिंत करते हुए विद्यालयों में स्काउटिंग / गाइडिंग के प्रशिक्षण एवं किया कलापों को अनिवार्य किया है। वर्तमान में स्काउटिंग / गाइडिंग के किया कलॉप गतिविधियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक संचालित है। उ0प्र0 में केवल **भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स उ0प्र0** संस्था ही एक मात्र संस्था है जो बेसिक से लेकर उच्चशिक्षा तक स्काउटिंग / गाइडिंग कार्य करने हेतु वैध है। इस संस्था के **मुख्य संरक्षक, महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 तथा उपमुख्य संरक्षक, माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 है।**

यह संज्ञान में आया है कि **भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स उ0प्र0 संस्था** के समानान्तर हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स एसोसिएशन नामक एक अवैध संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों पर बिना किसी वैधानिक मान्यता के स्काउट–गाइड कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि " हिन्दुस्तान स्काउट्स / गाइड्स संस्था विद्यार्थियों एवं युवाओं को भ्रमित करने का कार्य भी कर रही है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों को निर्देशित करने की कृपा की जाय कि हिन्दुस्तान स्काउट / गाइड संस्था को विश्वविद्यालयो / महाविद्यालयों में बी0एड0 के शिविर आयोजित करने की किसी भी दशा में अनुमति न दी जाय। **केवल मान्यता प्राप्त संस्था भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स उ0प्र0** के माध्यम से ही विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में स्काउटिंग / गाइडिंग गतिविधियों को संचालित किया जाय।

हिन्दुस्तान स्काउट गाइड के सम्बन्ध में भारत सरकार के युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि :–

2 / ......

Scanned with OKEN Scanner

(1) " यह सूचित किया जाता है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कई वर्षो से हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स एसोसिएशन को उनकी आंतरिक गुटबंदी के कारण अनुदान जारी नहीं कर रहा है। "

(2) " हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स को वर्ष 2024–25 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। "

उक्त के परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों को निर्देश प्रसारित करनें का कष्ट करें कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय हिन्दुस्तान स्काउट्स गाइड्स के माध्यम से स्काउट/गाइड प्रशिक्षण न कराएं तथा न ही इनके पत्रों का संज्ञान लें। भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स उ0प्र0 के माध्यम से ही स्काउट गाइड के सभी कार्यक्रम कराये जाय क्योंकि यही एक मात्र संस्था स्काउट–गाइड के कार्यक्रमों को विगत 75 वर्षो से राज्य सरकार की सहमति से संचालित कर रही है।

भवदीय

(आनन्द सिंह रावत)
प्रादेशिक सचिव
29.4.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1–प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0।
2–शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा शिक्षा निदेशालय डिग्री अनुभाग–03 प्रयागराज।
3–समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0।
4–कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय उ0प्र0।
5–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
6–प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण कमिश्नर (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0।
7–समस्त संयुक्त प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट) भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0।
8–समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आनन्द सिंह रावत)
प्रादेशिक सचिव

Scanned with OKEN Scanner